न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

APP-A
Crim-I

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2024/120
मिसल नम्बर– 40 / 2024

1.श्यामलाल पुत्र श्री बसंतीलाल आयु 66 साल जाति लुहार पांचाल निवासी रोझडी इंजीनियरिंग कॉलेज के पास थाना आर के पुरम कोटा
2.कैलाश बाई पत्नी श्री श्यामलाल आयु 60 साल जाति लुहार पांचाल निवासी रोझडी इंजीनियरिंग कॉलेज के पास थाना आर के पुरम कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.पुरूषोतम पुत्र श्यामलाल जाति लुहार पांचाल निवासी डबुकडा देवमहाराज के सामने आवंली रोझडी थाना आर के पुरम कोटा
2.श्रीमती ममता बाई पत्नी पुरूषोतम जाति लुहार पांचाल निवासी डबुकडा देवमहाराज के सामने आवंली रोझडी थाना आर के पुरम कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 24/12/24

उपस्थिति:–

1.प्रार्थीगण स्वयं।
2.श्री राजकुमार रेनीवाल अप्रार्थीगण अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण वाकै रोझडी इंजीनियरिंग कालेज के पास थाना आर के पुरम काटा के निवासीगण है, पति पत्नी है, बुजर्ग सिनियर सिटीजन है, तथा प्रार्थीगण द्वारा अपनी स्वअर्जित आय से आज से 20 वर्ष पूर्व मकान वाकै रोझडी इंजीनियरिंग कालेज के पास थाना आर के पुरम कोटा पर बनवाया ओर प्रार्थीगण पति पत्नी अपने उक्त मकन में निवास करते हुए आ रहे है, अप्रार्थीगण जो प्रार्थीगण के पुत्र व पुत्रवधु है। अप्रार्थीगण पुत्र व पुत्रवधु जो कि अपने कर्तव्यो का प्रार्थीगण के प्रति कोई पालन नही करते है, न ही उनका खाना पीना करते है, उल्टे प्रार्थीगण के उक्त मकान पर कब्जा करने व प्रार्थीगण को बेदखल करने की गरज से आये दिन लडाई झगडा गाली गलोच करते है, प्रार्थीगण को भला बुरा कहते हैताने मारते है, प्रार्थीगण को मानसिंक शारीरिक संताप पहुंचाते है,ओर प्रार्थीगण को उनके मकान से बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा रहते है, इसी गरज से वे प्रार्थीगण को आये दिन परेशान करते है, घर से निकल जाने हेतु धमकाते है,जबकि प्रार्थीगण के प्रति अप्रार्थीगण को पुत्र व पुत्रवधु है, अपने कर्तव्यो का कतई निर्वहन नही करते है, न ही उनका किसी प्रकार से खाने पीने आदि का खर्चा वहन करते है, न ही सेवा सुश्रुषा करते है, अपनी मनमानी करते है, प्रार्थीगण का इन लोगो ने जीना दुश्वार कर दिया है। अप्रार्थीगण ने लालचवश, प्रार्थीगण से लडाई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

झगड़ा गाली गलोच करते हुए प्रार्थीगण को उनके उक्त मकान रोड़ाजी इंजीनियरिंग कालेज के पास थाना आर के पुरम कोटा से बेदखल कर दिया है, घर मे घुसने नही दे रहे है, प्रार्थीगण इस बुजुर्ग अवस्था मे मारे मारे फिर रहे है, उनका रहने का कोई ठिकाना नही है, प्रार्थीगण बीमार भी रहते है, लेकिन अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के प्रति कोई दया नही आ रही है, वे अपने माता पिता के प्रति कर्तव्यो को भूल गये है, मरने के लिए उनको मकान से निकाल दिया है, जबकि उक्त मकान प्रार्थीगण स्वयं की स्वअर्जित आय से बनाया हुआ है, प्रार्थीगण ही उक्त मकान के मालिक है। अप्रार्थीगण के उक्त के उपरीत प्रकार के आचरण व्यवहार व उनके द्वारा मानसिक शारीरिक संताप पहुंचाने से प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण अपने उक्त मकान से उनको बेदखल करना चाहते है, उनको अपने मकान मे नही रखना चाहते है, इस हेतु प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से कई बार कहा भी लेकिन अप्रार्थीगण उल्टे लडाई झगडा गाली गलोच करने पर आमादा फसाद हो जाते है, ओर मारने पीटने की धमकीया देते है, इसलिए यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे पेश करना आवश्यक हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के उक्त मकान रोड़ाजी इंजीनियरिंग कालेज के पास थाना आर के पुरम काटा से बेदखल करने का आदेश प्रदान करे तथा अप्रार्थीगण को उनके उक्त कृत्य के लिए उनके विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही करायी जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो प्रार्थीगण के पक्ष मे हो, फरमायी जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी कोटा के निवासी नही है। प्रार्थीगण ग्राम मण्डोला के निवासी है तथा पैत्रक गांव व पैत्रिक मकान मे निवास करते है। प्रार्थीगण का कोई मकान कोटा में नही है अपितु 20 वर्ष पूर्व अप्रार्थीगण ने प्लाट खरीद किया था उसकी राशि 2,00,000/– रूपये अप्रार्थीगण ने ही अदा किये थे किन्तु प्रार्थी श्यामलाल पिता होने से ओपचारिक तोर पर उसके नाम खरीद किया। तथा अप्रार्थीगण ने मेहनत मजदूरी करके अपनी स्वअर्जित आय से 3,10,000/– रूपये में ठेकेदार रामलाल से 5 कमरे आदि का निर्माण करवाया है जिसमें निवास कर रहे है। अप्रार्थीगण ने कभी भी प्रार्थीगण से लडाई झगडा नहीं किया ओर ना ही किसी मकान पर कब्जा किया है अपितु 20 वर्ष पूर्व आप्रार्थीगण अपने मकान मे निवास कर रहे है। प्रार्थीगण पैत्रिक गांव मण्डोला में पैत्रिक मकान में निवास करते है। तथा प्रार्थीगण जब भी अप्रार्थीगण के पास कोटा आते है तो अप्रार्थीगण ही प्रार्थीगण की सेवा सुश्रूषा करते है । हारी बीमारी में इलाज करवाते है। जिसका खर्चा अप्रार्थीगण ही उठा रहे है। अप्रार्थीगण ने कभी भी प्रार्थीगण से लडाई झगडा नहीं किया। अप्रार्थीगण ने कभी भी प्रार्थीगण को मकान से नहीं निकाला बल्कि उनका मन कोटा मे नहीं लगने पर वे पुनः अपने पैत्रिक गांव चले जाते है। कोटा स्थित मकान अप्रार्थीगण ने अपनी स्वअर्जित आय से निर्माण करवाया है इस कारण उक्त मकान के प्रार्थीगण मालिक नहीं है। प्रार्थीगण अप्रार्थी न0 1 के माता पिता है जो अपनी मरजी से गांव से आकर कोटा में निवास करते है पुनः वापस गांव चले जाते है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के साथ कभी भी अभद्र व्यवहार नही किया उनको कभी भी मानसिक व शरीरिक रूप से प्रताडित नही किया। तथा प्रार्थीगण कभी कभार गांव से कोटा आकर अप्रार्थीगण के पास निवास करते रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा कभी भी प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा गाली गलोच नहीं की गयी। प्रार्थीगण को कभी भी अप्रार्थीगण के मकान से बैदखल नहीं किया और न मकान में निवास करने से मना किया। प्रतिपक्षीगण ने कभी भी प्रार्थीगण को मकान से बाहर निकालने का प्रयास नहीं किया ओर न बेदखल करने की धमकी दी बल्कि प्रार्थीगण शांति पूर्वक मकान में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा